फर्द अहकाम

भैरूराम बनाम रामू

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 21/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/01/25	पत्रावली पेश हुई। अविवादित वाद अधिनियम बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3800 हे. वाके ग्राम रूडल तह. आमेर जिला जयपुर वादी की शामिलात खातेदारी की भूमि है। वादी की उक्त भूमि में प्रतिवादी I द्वारा अवैधिक हस्तक्षेप सम्बन्धी वादी के कथनों का प्रतिवादी I की ओर से किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खण्डन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी I को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाके ग्राम रूडल तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 हे. जो कि वादी की शामिलात खातेदारी की भूमि है, में वादी के कब्जे काश्त व भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कारित ना करें तथा ना ही भूमि में किसी प्रकार का अवैधिक निर्माण कार्य करें। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय [illegible] संलग्न है। पत्रावली [illegible] नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 21/2023 **निर्णय दिनांक : 08.01.2025**

1. भींवाराम पुत्र बोदिया जाति अहीर
   निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. रामू पुत्र बोदिया जाति अहीर
   निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद अधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3800 है. वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। वादी की उक्त भूमि में प्रतिवादी 1 द्वारा अविधिक हस्तक्षेप संबंधी वादी के कथनो का प्रतिवादी 1 की ओर से किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. जो कि वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है में वादी के कब्जेकाश्त व भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कारित ना करें तथा ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत ..... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

ओहदा .....

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर
वाद संख्या : 21/2023
निर्णय दिनांक : 08.01.2025

1. भींवाराम पुत्र बोदिया जाति अहीर
निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. रामू पुत्र बोदिया जाति अहीर
निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादी की खातेदारिता की उक्त उल्लेखित भूमि के सीमाजोड प्रतिवादी की खातेदारिता की भूमि स्थित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी की खातेदारिता की भूमियों की सीमाये एक दूसरे से लगती हुई है। जिससे आये दिन सीमाओ को लेकर वादी व प्रतिवादी के मध्य झगडा होता रहता है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी की कब्जेशुदा उपरोक्त आराजी में बनी मिट्टी की डोल को तोडकर वादी की भूमि में जबरन प्रवेश कर वादी को बेदखल करने की कुचेष्टा की जा रही है व वादी की कब्जेशुदा आराजी की सीमाओ में गैरकानूनी रूप से निर्माण करने पर आमादा है तथा इसी उद्देश्य से वादी के कब्जेकाश्त में निरन्तर मदाखलत की जा रही है। इसी उद्देश्य से दिनांक 25.05.2023 को प्रतिवादी 1 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण सामग्री डालने व बिजली के पोल गाडने की कोशिश की गई। जिस पर वादी द्वारा विरोध करते हुए मुश्किल से रोका गया। जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक व जालमी हुआ है। वादी व प्रतिवादी 1 दोनो सगे भाई है, जिनके मध्य वादग्रस्त भूमि का पूर्व में विभाजन किया जा चुका है परन्तु विभाजन पश्चात सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं होने से आये दिन सीमाओ के संबंध में विवाद होता रहता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढी होने तक प्रतिवादी 1 को पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि/वादी की एकल खातेदारिता की भूमि की सीमाओ से छेडछाड व दखलंदाजी ना करे, ना ही वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इस हेतु प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रतिवादी 1 वादी को अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लेगा। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की एकल खातेदारिता की [illegible] कब्जेशुदा भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. की सीमा में वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का मदाखलत व उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य व अविधिक कार्यवाही ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074—2077 (खाता सं 351) की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि/वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादी का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर वाद पत्र के अभिकथनों के संदर्भ में अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में बावजूद विधिवत तामिल/सूचना के प्रतिवादी 1 की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रतिवादी 1 के विरूद्ध दिनांक 15.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया (प्रतिवादी 1 की ओर से वादपत्र के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया/कार्यवाही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई) तथा पत्रावली को साक्ष्यवादी हेतु नियत किया गया। जिसके क्रम में निरन्तर अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त भी वादी की ओर से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 13.08.2024 को साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उक्त क्रम में वादी की बहस अंतिम सुनी गई। हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादी 1 का कोई संबंध सरोकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रदर्शित नहीं होता है, ना ही उक्त संदर्भ में तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों के खंडन के रूप में प्रतिवादी 1 की ओर से कोई उज्र आपत्ति व तथ्यों का समुचित/औपचारिक खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है तथा वादी की वाद अधीन भूमि में प्रतिवादी 1 द्वारा अविधिक हस्तक्षेप संबंधी वादी की कथनी का प्रतिवादी 1 की ओर से किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत/सिद्ध होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 208/2536, 2831/158, 2834/159, 2835/159, 2837/209 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.3850 है. जो कि वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है में वादी के कब्जेकाश्त व भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कारित ना करें तथा ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य करें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested